(21)

उत्तर मध्य रेलवे

प्रणाली सुधार /23/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

पत्र संख्या:20220200091/पीसी/वी1/एन/प्रयागराज

दिनांक :20.09.2023

पी सीपीओ ,उत्तर मध्य रेलवे,प्रयागराज
मण्डल रेल प्रबन्धक
उ. म. रे./प्रयागराज,झाँसी,आगरा

विषय: उत्तर मध्य रेलवे मे कार्यरत कर्मचारियों को दिये जाने वाले ड्यूटि चेक पास/ओआरएस पास के संबंध मे कार्य प्रणाली सुधार ।

उत्तर मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मण्डल के डिपो/कार्यालय मे किए गए सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह संज्ञान मे आया कि डिपो मे कार्यरत कर्मचारियों के नाम से जारी ड्यूटि चेक पास /ओआरएस पास की वैद्यता 100-120 किमी या उससे कम दूरी के लिए 10-12 दिनों तक के साथ जारी किए जा रहे है जबकि उक्त अवधि मे कर्मचारियों द्वारा केवल1-2 दिन की यात्रा की जा रही है इस बीच यदि कर्मचारी का आवास उक्त स्टेशन के बीच स्थित हो तो कर्मचारियों द्वारा उक्त पास को अपने स्वयं की यात्रा हेतु उपयोग किया गया होगा से इंकार नही किया जा सकता है तथा कर्मचारियों द्वारा उक्त पास पर किसी वाणिज्य कर्मचारी द्वारा या स्वयं यात्रा विवरण भी अंकित नही किये जा रहे है।

उपरोक्त अनियमितता के दृष्टिगत निम्नांकित कार्य प्रणाली सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है-

i) समस्त शाखा अधिकारी को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि जिन कर्मचारियों को बार-बार कार्यालय के सरकारी कार्य से मंडल में आवागमन करना पड़ता है तो, उनके नाम से ड्यूटि कार्ड पास जारी करना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था किया जाना उचित होगा.

ii) यदि संबंधित कार्यालय द्वारा यात्रा हेतु ड्यूटी कार्ड पास जारी नहीं किया गया है और कार्ड पास के बदले एक से अधिक कई दिनों के लिए चेक पास जारी किया जाता है तो चेक पास पर या दर्ज होना चाहिए कि यह पास,कार्ड पास के बदले जारी किया गया है। साथ ही यात्रा के दौरान यदि पास पर आरक्षण नहीं कराया गया है या यात्रा के दौरान वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा यात्रा विवरण दर्ज नहीं की गई है तो स्वयं पास धारक को यात्रा की तिथि अंकित करना सुनिश्चित किया जाना उचित होगा।

iii) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों को उसके कार्य के प्रकृति के दृष्टिगत ही ड्यूटी कार्ड पास निर्गत किया जाय जिसका अनुमोदन विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं करना चाहिए

iv) यदि किसी कर्मचारी को माह में बार-बार सरकारी कार्य से बाहर जाना पड़े तो उसके पक्ष में ड्यूटी कार्ड पास जारी करना उचित होगा एवं यदि कार्ड पास उपलब्ध नहीं है तो कार्ड पास के स्थान पर ड्यूटी चेक पास/ओआरएस पास निर्गत किए जाते हैं तो निर्गत किए जाने वाले ड्यूटी चेक पास की वैधता प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन की दूरी की दृष्टिगत होने चाहिए ।

v) यदि ड्यूटी कार्ड पास की अनुपलब्धता के कारण किसी कर्मचारी के पक्ष में ड्यूटी कार्ड पास के एवज में ड्यूटी चेक पास जारी किया जाना नितांत आवश्यक हो तो ड्यूटी चेक पास की वैद्यता अधिकतम एक सप्ताह से अधिक नही होनी चाहिए और ऐसे ड्यूटी चेक पास /ओआरएस पास को जारी करने से पूर्व विभागाध्यक्ष/मण्डल रेल प्रबन्धक महोदय से अनुमोदन लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

Harish
(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि/.यां
कृते महाप्रबंधक,सतर्कता